बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

आ0सं0–6/एन0–08–244/2023–......... /पटना–15, दिनांक–.....................................

बी0एन0आर0सी0 आदेश ज्ञापांक–4289/बी0एन0आर0सी0, दिनांक–30.12.2021 के माध्यम से ग्रामद्वीप ट्रस्ट, ग्राम–गोसाई टोला, पोस्ट–राघोपुर बलाट, भाया–रामपट्टी, जिला–मधुबनी द्वारा संचालित तालुका इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग, सौराठ नियर सभागाछी, वार्ड नं0–11, प्रखण्ड रहिका, जिला–मधुबनी–847213 अन्तर्गत जी0एन0एम0 एवं बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम के अवधि विस्तार एवं सीट वृद्धि हेतु डा0 अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, अपर निदेशक, मुख्यालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।

2–विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष डा0 अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, अपर निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक–25/अ0नि0को0, दिनांक–07.03.2022 के माध्यम से उक्त संस्थान के निरीक्षणोपरान्त सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर अवधि विस्तार किया जा चुका है।

3–विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त तालुका इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग, सौराठ नियर सभागाछी, वार्ड नं0–11, प्रखण्ड रहिका, जिला–मधुबनी–847213 का भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप भौतिक संसाधन, मानव संसाधन एवं अन्य सुविधाएँ पाये जाने के फलस्वरूप जी0एन0एम0 एवं बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम में पूर्व निर्धारित सीटों की संख्या में वृद्धि करते हुए 100 (एक सौ) सीट पर नामांकन लेने हेतु जांच प्रतिवेदन के आधार पर निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती हैः–

(क) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों/निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। सिविल सर्जन, मधुबनी समय–समय पर संस्थान की गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे तथा भारतीय उपचर्या परिषद् की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

(ख) नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा–निर्देश के आलोक में अपना Suitability प्राप्त करा लेंगे।

(घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्र/छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।

(ड़) संस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।

(च) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा (ii) सिविल सर्जन, मधुबनी तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 – इसमें माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(शैलेश कुमार)
उप सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

क्रमशः

ज्ञापांक : 6/एन0–08–244/2023......140(6)   पटना दिनांक– 12/01/2024

प्रतिलिपिः– सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, 8वां तल्ल, एन0बी0सी0सी0 सेंटर, प्लॉट नं0–2, कम्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज–01, नई दिल्ली–110020/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना–800001/आर्यभट ज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, तालुका इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग, सौराठ नियर सभागाछी, वार्ड नं0–11, प्रखण्ड रहिका, जिला–मधुबनी–847213 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ

उप सचिव, 12/1/24
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।